अनुसूचि –14 फॉरम संख्या–562

आदेश का क्र. सं. एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
25/01/09.	नामांतरण अपीलवादवाद सं0 : 97 / 2008–09 122 / 2006–07 **(रामेश्वर राम बनाम भूदेव सिंह एवं अं0 अ0 गिरिडीह)** **आदेश** इस अपीलवाद की कार्यवाही अंचल कार्यालय, गिरिडीह के नामांतरण वाद संख्या 732 / 2005–06 में विज्ञ अंचल अधिकारी, गिरिडीह के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2006 के विरूद्ध अपीलार्थी रामेश्वर राम , पे0 : अकल राम थाना : गिरिडीह (न0) के द्वारा दायर किये गये अपील आवेदन पर आरम्भ की गई है । अपीलवाद की कार्यवाही आरंभ किए जाने हेतु दिए गए अपील–आवेदन के पश्चात न्यायालय के द्वारा सुनवाई हेतु निर्धारित किए गए कुल 12 (बारह) तिथियों में अपीलार्थी लगातार अनुपस्थित रहें है। न्यायालय आदेश की अवहेलना और लगातार अनुपस्थिति के बाद प्रतिपक्ष की एकपक्षीय सुनवाई पूरी की गई। प्रतिपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा तर्क दिया गया कि वादगत भूमि , मौजा : बरहमसिया, थानान0 230 अंतर्गत खातान0 54 के खेसरान0 278 में रकबा 0.02¼ ए0 भूमि का क्रय निबंधित केवाला सं0 10054 दि0 08.09. 2005 के द्वारा प्रतिपक्ष ने विक्रेता श्री गोपाल सिंह वो श्री विजय सिंह, पेशरान : स्व0 शतीशचंद्र सिंह से किया है । विक्रेतापक्ष एवं उनकी स्व0 माँ उमा देवी को यह भूमि निबंधित केवाला सं0 10037 दि0 21.07.62 के द्वारा प्राप्त हुआ था। वादगत भूमि पर क्रेतापक्ष के दखल, दखल संबंधि अधिकार विलेख तथा विक्रेता पक्ष के नाम से पंजी–।। में कायम जमाबंदी के आलोक में ही निम्न–न्यायालय के द्वारा नामांतरण की स्वीकृति दी गई है। अपीलार्थी पक्ष के दावा के संबंध में विज्ञ अधिवक्ता प्रतिपक्ष के द्वारा तर्क दिया गया	

कि विक्रेता उमा देवी वो उनके पुत्र श्री गोपाल सिंह वो श्री विजय सिंह के द्वारा अपीलार्थी को वादगत भूमि के एक केयरटेकर मात्र के रूप में रखा गया था। भू–हस्तांतरण या किसी अन्य दावा के संबंध में उन्हें कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। निबंधित केवाला सं0 10054 दि0 08.09.2005 के द्वारा वादगत भूमि की बिक्री किए जाने के उपरांत गलतनीयती की मंशा से ही अपीलार्थी पक्ष ने यह अपीलवाद दायर किया है और परेशान करने की नीयतमात्र से वाद दायर कर लगातार अनुपस्थित चले आ रहें हैं। विज्ञ अधिवक्ता प्रतिपक्ष के द्वारा अपीलार्थी पक्ष के Default के आलोक में भी उनके अपील को खारीज किए जाने का अनुरोध किया है।

उर्पयुक्त उल्लेखित तर्क, निम्न–न्यायालय मूल अभिलेख के अवलोकन से भी यही ज्ञात होता है कि विक्रेता पक्ष के नाम से पंजी–।। में कायम चली आ रही जमाबंदी तथा क्रय की गई भूमि पर दखल के आलोक में ही नामांतरण की स्वीकृति दी गई है। इस दृष्टिकोण से भी इसमें हस्तक्षेप उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उर्पयुक्त आलोक में Default के साथ जान–बूझकर न्यायालय कार्यवाही को लंबित रखने के प्रयास के आलोक में अपीलार्थी का अपील अस्वीकृत किया जाता है। निम्न–न्यायालय मूल अभिलेख के साथ आदेश की प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी गिरिडीह को भेजी जाए।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
गिरिडीह ।